

यशवतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, नाशिक  
अंतर्गत संज्ञापन पत्र

जा.क्र. 463  
दिनांक 20/12/22  
आ.क्र.  
दिनांक  
जा.क्र.  
दिनांक  
आ.क्र.  
दिनांक  
कुलसचिव  
कार्या.  
जा.क्र.  
दिनांक  
कुलसचिव  
कार्या.  
आ.क्र.  
दिनांक  
कुलगुरु  
कार्यालय  
जा.क्र.  
दिनांक  
कुलगुरु  
कार्यालय  
आ.क्र.  
दिनांक  
जा.क्र.  
दिनांक  
आ.क्र.  
दिनांक

प्रेषक : प्रा. संजीवनी महाले  
सदस्य सचिव, शिक्षणशास्त्र  
विद्याशाखा परिषद

विषय : ५६ वी शिक्षणशास्त्र विद्याशाखा  
परिषद इतिवृत्त मान्यतेबाबत.

प्रति : मा. कुलगुरु

धारिका : शिक्षण/२०२२  
दिनांक : २०/१२/२०२२

शिक्षणशास्त्र विद्याशाखेतर्फे दिनांक १२ डिसेंबर २०२२ रोजी ५६ वी शिक्षणशास्त्र  
विद्याशाखा परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीचा वृत्तांत सोबत  
मान्यतेसाठी पाठवीत आहे. कृपया मान्यता द्यावी ही विनंती.

*Pr. Mahale*

प्रा. संजीवनी महाले  
सदस्य सचिव, शिक्षणशास्त्र विद्याशाखा परिषद

*K. S. Kulkarni*

प्रा. कविता साळुंके  
प्र. संचालक, शिक्षणशास्त्र विद्याशाखा

*Dr. K. S. Kulkarni*

*Dr. K. S. Kulkarni*

मा. कुलगुरु

सोबत

१) शिक्षणशास्त्र विद्याशाखा परिषद बैठक वृत्तांत

मा. कुलगुरु कार्यालय  
य. च. म. मुक्त विद्यापीठ, नाशिक  
अंतर्गत आवक क्र.: ५८/१७०७  
दि. २०/१२/२०२२

कार्यालय

3687  
30/12/2022

2022 11 20 14  
Dr. K. S. Kulkarni



# यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, नासिक

शिक्षणशास्त्र विद्याशाखा परिषद (School Council)

बैठक क्र. 56

इतिवृत्त

शिक्षणशास्त्र विद्याशाखा परिषद बैठक क्र. 56, दि. 12.12.2022 रोजी सकाळी 11.30 ते 02.30 या वेळेत Online व Offline पद्धतीने आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस, विद्यापीठातील सदस्य प्रत्यक्ष तर बहिस्थ सदस्य Online उपस्थित होते.

- |                             |                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1. प्रा. कविता साळुंके —    | प्रोफेसर,अध्यक्ष व प्र.संचालक, शिक्षणशास्त्र विद्याशाखा                    |
| 2. प्रा. संजिवनी महाले —    | प्रोफेसर, सचिव, व सदस्य, शिक्षणशास्त्र विद्याशाखा परिषद                    |
| 3. डॉ. मिना कुटे            | सदस्य व प्राचार्य, एस.एस.आर. कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, सिल्वासा                  |
| 4. डॉ. गजानन गुल्हाणे       | सदस्य व प्रमुख, पदव्युत्तर शिक्षणशास्त्र विभाग, अमरावती विद्यापीठ, अमरावती |
| 5. डॉ.सुलभा दि. देशमुख      | सदस्य व प्राचार्य, एस.एस.कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, ठस्मानाबाद                    |
| 6. डॉ. अशोक राणे            | सदस्य व प्राचार्य, खांदेश एज्यु. सोसा.चे कॉलेज ऑफ एज्युकेशन जळगांव.        |
| 7. डॉ. राधिका ईनामदार,      | सदस्य व प्राचार्य, टिळक शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय, पुणे                    |
| 8. डॉ. सुनंदा मोरे          | सदस्य व प्र, संचालक, विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा                       |
| 9. प्रा. सज्जन थूल          | सदस्य व प्रोफेसर व प्र. संचालक, मूल्यमापन विभाग                            |
| 10. डॉ. अभय पाटील           | सदस्य व सहाय्यक प्राध्यापक, आरोग्य विज्ञान विद्याशाखा                      |
| 11. प्रा. माधुरी सोनवणे     | सदस्य व प्रोफेसर व प्र. संचालक, कृषी विद्याशाखा                            |
| 12. प्रा. विजया पाटील       | सदस्य व प्रोफेसर, शिक्षणशास्त्र विद्याशाखा                                 |
| 13. प्रा. विजयकुमार पाईकराव | सदस्य व सहयोगी प्राध्यापक, शिक्षणशास्त्र विद्याशाखा                        |
| 14. डॉ. डी. डी. पवार        | सदस्य व सहाय्यक प्राध्यापक, शिक्षणशास्त्र विद्याशाखा                       |
| 15. डॉ. सुभाष सोनुने        | सदस्य व सहाय्यक प्राध्यापक, शिक्षणशास्त्र विद्याशाखा                       |
| 16. डॉ. साधना लामतुरे       | निमंत्रित सदस्य व सहयोगी सल्लागार, CDS                                     |
| 17. श्री शिवानंद कहाळेकर    | निमंत्रित सदस्य व सहाय्यक सल्लागार, CDS                                    |
| 18. श्री ज्ञानेश्वर जाधव    | निमंत्रित सदस्य व सहाय्यक सल्लागार, CDS                                    |

काही वैयक्तिक अडचणींमुळे खालील सदस्य बैठकीस उपस्थित राहू शकले नाहीत.

- |                          |                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| • डॉ.मंजुलिका श्रीवास्तव | विभाग प्रमुख, इंदिरा गांधी नॅशनल ओपन युनिव्हर्सिटी, दिल्ली |
| • डॉ. राम ठाकर           | प्र. संचालक, सी.आय.क्यु. ए. य.च.म.मुक्त विद्यापीठ,नासिक    |



**यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, नासिक**  
**शिक्षणशास्त्र विद्याशाखा परिषद (School Council)**  
**12.12.2022 बैठक क्र. 56**  
**इतिवृत्त**

| क्रमांक | उप क्रमांक | विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 56.1    | 1          | विषय क्र. बी.-1 / एफ-175 / 2022/ 01<br>बैठक क्र. 55 च्या परिषदेच्या इतिवृत्तास मान्यता देण्यात आली.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 56.2    | 2          | विषय क्र. बी.-1 / एफ-175 / 2022/ 02<br>मागील सभेच्या कार्यवाही अहवालाची नोंद घेण्यात आली.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 56.3    | 3          | विषय क्र. बी.-1 / एफ-175 / 2022/ 03<br>पीएचडी शिक्षणक्रमाच्या (RES 109 & RES 110) अहवाल सादरीकरण नियमांबाबत शिक्षणशास्त्र विद्याशाखेत पीएचडी शिक्षणशास्त्राचे (RES 109) २४ आणि पीएचडी दूरशिक्षणाचे (RES 110) १३ असे एकूण ३७ विद्यार्थी २०१९-२०२० मध्ये प्रवेशित करण्यात आले. सदर विद्यार्थी आपले अहवाल सबमिशन संदर्भातील नियमांबाबत विद्याशाखेकडे सातत्याने विचारणा करतात. त्या संदर्भात विद्याशाखेने तयार केलेले नियम परिशिष्ट - ३ मध्ये मान्यता व चर्चे साठी सादर (सहपत्र - 3) निर्णय :<br>संशोधकांनी स्वतःच्या संशोधनाशी संबंधित साहित्य व संशोधनांचा आढावा, पथदर्शक अभ्यास, अंशतः सामग्री इ. वर आधारित किमान दोन संशोधन पेपर प्रसिद्ध करणेबाबत विद्यार्थ्यांना सूचित करावे. व सूचनेसह विद्यावाचस्पती संशोधन अहवाल सादर करण्यासंदर्भातील परिशिष्ट - ३ मधील नियमाबत मान्य करण्यात आली व विद्वत परिषदेच्या मान्यतेसाठी शिफारस करण्यात आली.                                  |
| 56.4    | 4          | विषय क्र. बी.-1 / एफ-175 / 2022/ 04<br>एम ए (शिक्षणशास्त्र) शिक्षणक्रमाबाबत....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | 4.1        | एम.ए. (शिक्षणशास्त्र) M-82 शिक्षणक्रम शुल्क वाढ करणेबाबत.....<br>दिनांक १४/०५/२०२२ रोजी झालेल्या ५५व्या शिक्षणशास्त्र विद्याशाखा परिषदेमध्ये एम.ए. (शिक्षणशास्त्र) शिक्षणक्रमाचे शुल्क रु. २१,०००/- मान्य करण्यात आलेले होते. त्यानंतर परीक्षा विभागाकडून वाढीव शुल्काबाबतचे अंतर्गत पत्र प्राप्त झाले. तसेच संशोधन आराखडा आणि अहवालांचे मूल्यमापन ऑनलाईन पद्धतीने करणे, १२ अनिवार्य अभ्यासक्रमांचे अंतर्गत कार्य म्हणून दीर्घस्वाध्याय सादरीकरणासाठी परिसंवादांचे आयोजन इत्यादींचा विचार करता त्यात आणखी रु.३,२००/- शुल्कवाढ करणे आवश्यक वाटते. म्हणजेच सदर शिक्षणक्रमाचे शुल्क रु. २१,०००/- ऐवज रु. २४,२००/- करणे आवश्यक आहे. सदर विषय चर्चा व मान्यतेसाठी सादर.<br>निर्णय :<br>एम.ए. (शिक्षणशास्त्र) शिक्षणक्रमाची सन २०२२-२४ या तुकडीचे शुल्क रु. २४,२००/- घेण्यास कार्यान्वयन मान्यता देण्यात आली व सदर विषय मान्यतेसाठी वित्त समितीकडे पाठविण्याची शिफारस करण्यात आली. |
|         | 4.2        | एम.ए. (शिक्षणशास्त्र) M-82 या पूर्णरचित शिक्षणक्रमाच्या अभ्यासकेंद्रावरील खर्च अंमलबजावणीबाबत.....<br>एम.ए. (शिक्षणशास्त्र) M-82 सन २०२२-२४ ह्या तुकडीपासून ५५ व्या शिक्षणशास्त्र विद्याशाखा परिषदेतील मान्यतेनुसार सुरु करण्यात आला आहे. या तुकडीपासून एकूण शुल्कात वाढ केल्याने या शिक्षणक्रमाचे एकूण शुल्क रु. २४,२००/- इतके झाले. त्यापैकी अभ्यासकेंद्रांना प्रती वर्षी रु. ४,२००/- याप्रमाणे दोन्ही वर्षांचे मिळून रु. ८,४०० /- शुल्क प्राप्त होईल. अभ्यासकेंद्रांनी तो पैसा कसा खर्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>करावा यासाठी अभ्यासकेंद्र खर्चाचे वितरण दर्शविणारा आर्थिक खर्च विभाजन तक्ता सोबत सहपत्र क्र. ४ मध्ये जोडण्यात आला आहे. सदर विषय चर्चा व मान्यतासाठी सादर. (सहपत्र - 4)</p> <p><b>निर्णय :</b></p> <p>विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) मुक्त आणि दूर शिक्षणासाठी प्रसिद्ध केलेल्या नियमानुसार या शिक्षणक्रमाच्या कार्यवाहीचा पुनर्विचार करावा त्यानुसार एम.ए. (शिक्षणशास्त्र) शिक्षणक्रमाचे शुल्क निश्चित करून त्याआधारे अभ्यासकेंद्र खर्च विभाजन तक्त्यात दुरुस्ती करावी असे सूचित करण्यात आले. सन २०२२-२०२४ या तुकडीसाठी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झालेली असल्याने विद्यार्थ्यांकडून रु.२४,२००/- घेण्यात आलेले आहे. त्यामुळे या तुकडीसाठी विद्याशाखेने सूचविलेल्या अभ्यासकेंद्रावरील आर्थिक खर्च विभाजन सहपत्र - ४ मधील तक्त्याला मान्यता देऊन त्याची वित्त समितीच्या मान्यतेसाठी शिफारस करण्यात आली.</p> |
| 4.3 | <p><b>एम.ए. (शिक्षणशास्त्र) M-82 — नविन अभ्यासकेंद्र निवडीच्या निकषांबाबत.....</b></p> <p>एम.ए. (शिक्षणशास्त्र) या शिक्षणक्रमास संपूर्ण महाराष्ट्रातून नविन अभ्यासकेंद्रांसाठी प्रचंड मागणी असते. केंद्र देतांना त्यांची निवड गुणवत्तापूर्वक व्हावी यासाठी खालील निकष तयार करण्यात आलेले आहे. सदर विषय चर्चा व मान्यतेसाठी सादर.</p> <p><b>अभ्यासकेंद्र निवडीचे निकष</b></p> <p>I) अभ्यासकेंद्र मागणी करणारी संस्था / महाविद्यालय हे एन.सी.टी. ई. मान्यता प्राप्त बी.एड / एकात्मिक बी.एड महाविद्यालय असावे.</p> <p>II) एका अभ्यासकेंद्रावर कमाल ५० विद्यार्थी प्रवेशीत असतील.</p> <p>III) सदर शिक्षणक्रमात संशोधन कार्य असल्याने त्या महाविद्यालयात M.Phil/Ph.D (शिक्षणशास्त्र) अर्हता असणारे किमान पाच प्राध्यापक असावेत.</p> <p>(एम.ए. शिक्षणशास्त्र हा शिक्षणक्रम व्यावसायिकतेकडे झुकणारा असल्याने कोणत्याही परिस्थितीत बी.एड. / बी.ए. बी.एड. नसलेल्या म्हणजेच केवळ कला, वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालयात या शिक्षणक्रमाचे अभ्यासकेंद्र देण्यात येऊ नये.)</p> <p><b>निर्णय :</b></p> <p>विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) मुक्त आणि दूर शिक्षणासाठी प्रसिद्ध केलेल्या नियमानुसार एम.ए. (शिक्षणशास्त्र) शिक्षणक्रमासाठी नवीन अभ्यासकेंद्र निवडीचे निकष निश्चित करावेत व ते पुढील बैठकीत मान्यतेसाठी ठेवण्यात यावेत असे सूचित करण्यात आले.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.4 | <p><b>एम.ए. (शिक्षणशास्त्र) M-82 शिक्षणक्रम अभ्यासकेंद्रावरील प्रवेश संख्येबाबत.....</b></p> <p>एन.सी.टी. ई. मार्गदर्शक तत्वांमध्ये एम.ए. शिक्षणक्रमाला एम.एड शिक्षणशास्त्र समकक्ष मानलेले आहे. गुणवत्तेचा विचार करून एन.सी.टी. ई. ने एम.एड. साठी शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयास कमाल विद्यार्थी मर्यादा ही ५० मान्य केलेली आहे. त्यापेक्षा जास्त विद्यार्थी प्रवेश करता येत नाही.</p> <p>यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाने एम.ए. शिक्षणशास्त्राची संरचना ही एम.एड शिक्षणक्रमाच्या समकक्ष केलेली आहे. याचा विचार करता मुक्त विद्यापीठाच्या एम.ए. (शिक्षणशास्त्र) शिक्षणक्रमासाठी प्रत्येक अभ्यासकेंद्रावर कमाल ५० प्रवेशार्थींना प्रवेश देण्यात यावा. सदर विषय चर्चा व मान्यतेसाठी सादर.</p> <p><b>निर्णय :</b></p> <p>विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) मुक्त आणि दूर शिक्षणासाठी प्रसिद्ध केलेल्या नियमानुसार एम.ए. (शिक्षणशास्त्र) या शिक्षणक्रमाची अभ्यासकेंद्रनिहाय विद्यार्थी संख्या निश्चित करावी व सदर विषय पुन्हा पुढील बैठकीत मान्यतेसाठी ठेवण्यात यावा असे सूचित करण्यात आले.</p>                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.5 | <p><b>एम.ए. (शिक्षणशास्त्र) M-82 अभ्यासकेंद्र बदल करणेबाबत.....</b></p> <p>एम.ए. शिक्षणशास्त्र शिक्षणक्रम प्रवेशित विद्यार्थी प्रवेशानंतर त्यांच्या सोयीचे अभ्यासकेंद्र मिळणेसाठी केंद्र बदलाबाबत अर्ज करतात. परंतु केंद्रबदलामुळे अंतर्गत कार्य गुण, निकाल आणि शिक्षणक्रम गुणवत्ता यासंदर्भात अनेक प्रश्न निर्माण होतात. तसेच गांभीर्याने शिक्षणक्रम कार्यवाही</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>करणान्या केंद्राकडून लिबरल केंद्राकडे जाण्याचा विद्यार्थ्यांचा ओढा दिसतो. त्यामुळे केवळ पुढील कारणांसाठी केंद्र बदल मान्यता द्यावी असे वाटते. सदर विषय चर्चा व मान्यतेसाठी सादर.</p> <p>एम.ए. (शिक्षणशास्त्र) M-82 अभ्यासकेंद्र बदलासंदर्भातील निकष -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>विद्यार्थ्यांची बदली झालेली असल्यास, त्याने दोन्ही केंद्रांचे ना हरकत प्रमाणपत्र द्यावे आणि दोन्ही केंद्रांचे शुल्क भरावे. अभ्यासकेंद्र बदलाबाबतचा अर्ज विद्यापीठात पाठवतांना त्या सोबत बदलीचा आदेश आणि दोन्ही केंद्रांचे ना हरकत प्रमाणपत्र जोडून सदर अर्ज संचालक, विद्यार्थी सेवा विभाग यांना पाठवावा. त्यावर निर्णय घेण्यापूर्वी विद्यार्थी सेवा विभागाने संचालक, शिक्षणशास्त्र विद्याशाखा यांचाही शेरा घ्यावा.</li> <li>गंभीर वैद्यकीय कारणास्तव उदा. प्रवासास शारीरिक असमर्थता. त्यासंदर्भात तसे वैद्यकीय प्रमाणपत्र विद्यार्थ्याने दिल्यास अभ्यासकेंद्र बदल करण्यात यावे. सदर विद्यार्थ्यास दोन्ही केंद्रांचे शुल्क भरावे लागेल. सदर बदल करतांना दोन्ही म्हणजेच विद्यार्थी सेवा विभाग व शिक्षणशास्त्र विद्याशाखा संचालकांची मान्यता असावी.</li> </ol> <p><b>निर्णय :</b></p> <p>एम.ए. (शिक्षणशास्त्र) शिक्षणक्रमाच्या विद्यार्थ्यांनी अभ्यासकेंद्र बदल मागणी केल्यास केवळ विद्यार्थ्यांचे बदली व गंभीर वैद्यकीय कारण असल्यासच केंद्र बदलून द्यावे. केंद्र बदल देतांना संचालक, विद्यार्थी सेवा विभाग आणि संचालक, शिक्षणशास्त्र विद्याशाखा दोघांची त्यास मान्यता असावी. त्या हा परिस्थितीत जुन्या आणि नवीन अशा दोन्ही केंद्राचे शुल्क विद्यार्थ्याने भरल्यानंतर व दोन्ही केंद्राचे NOC आणल्यानंतरच अभ्यासकेंद्र बदल करावा असा निर्णय घेण्यात आला व सदर विषयाची विद्वत परिषदेच्या मान्यतेसाठी शिफारस करण्यात आली.</p> |
| 4.6 | <p>एम.ए. (शिक्षणशास्त्र) च्या प्रवेश पात्रतेबाबत.....</p> <p>NCTE (2014) च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार एम.ए. (शिक्षणशास्त्र) या पदव्युत्तर पदवीसाठी खालील पात्रता विचारात घ्यावी.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची शिक्षणशास्त्र विषयातील बी.ए. पदवी उत्तीर्ण किंवा</li> <li>यशस्वीरीत्या पूर्ण केलेल्या पदवीच्या किमान द्वितीय वर्षपर्यंत शिक्षणशास्त्र विषय घेतलेले किंवा</li> <li>कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची शिक्षणशास्त्र पदवी (बी.एड.) उत्तीर्ण झालेले उमेदवार किंवा</li> <li>बी.ए. बी.एड. (एकात्मिक) उत्तीर्ण किंवा बी. एस्सी. बी.एड. (एकात्मिक) उत्तीर्ण किंवा</li> <li>बी.एड. (विशेष शिक्षण) उत्तीर्ण किंवा</li> <li>बी.पीएड. शारीरिक शिक्षण उत्तीर्ण किंवा</li> <li>B.El.Ed किंवा</li> <li>D.El.Ed with an undergraduate degree (with 50% marks in each)</li> <li>खुल्या वर्गासाठी ५०% आणि मागासवर्गीयांसाठी ४५% गुण आवश्यक</li> </ol> <p>सदर विषय चर्चा व मान्यतेसाठी सादर.</p> <p><b>निर्णय :</b></p> <p>एम.ए. (शिक्षणशास्त्र) शिक्षणक्रमाच्या प्रवेशासाठी महाराष्ट्रातील खुल्या आणि राखीव प्रवर्गासाठी महाराष्ट्र शासनाने निर्धारित केलेल्या नियमानुसार टक्केवारी गृहीत धरण्यात यावी. इतर राज्यातील पदवीधारकांना खुल्या प्रवर्गासाठी ५५% आणि राखीव प्रवर्गासाठी ५०% गुण ग्राह्य धरण्यात यावेत.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |   | प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या पद्धतीने प्रवेश देण्यात यावेत या सूचनेसह एम.ए. (शिक्षणशास्त्र) शिक्षणक्रमाच्या प्रवेश पात्रतेच्या वरील नऊ निकषांना मान्यता देण्यात आली व सदर विषयाची विद्वत परिषदेकडे मान्यतेसाठी शिफारस करण्यात आली.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.7  |   | <p><b>ऑनलाईन पद्धतीने संमंत्रण करणेबाबत.....</b></p> <p>युजीसीने ४ सप्टेंबर २०२२ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकानुसार open and distance Learning साठी ६०% ऑफलाईन आणि ४०% ऑनलाईन संमंत्रण करण्यास मान्यता दिलेली आहे. एम.ए. शिक्षणशास्त्र तसेच शिक्षणशास्त्र विद्याशाखेतील इतरही सर्व शिक्षणक्रमाच्या तात्त्विक अभ्यासक्रमांचे ४०% संमंत्रण गरजेनुसार ऑनलाईन पद्धतीने करण्यास मान्यता देण्यात यावी असे वाटते. सदर विषय चर्चा व मान्यतेसाठी सादर.</p> <p><b>निर्णय :</b></p> <p>एम.ए. (शिक्षणशास्त्र) तसेच विद्याशाखेतील इतरही सर्वच शिक्षणक्रमांच्या तात्त्विक विषयांचे संमंत्रण करतांना ते ६०% ऑफलाईन आणि ४०% ऑनलाईन पद्धतीने करण्यास मान्यता देण्यात आली व सदर विषयाच्या मान्यतेसाठी विद्वत परिषदेकडे शिफारस करण्यात आली.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.8  |   | <p><b>एम.ए. शिक्षणशास्त्र शिक्षणक्रमातील संमंत्रक आणि संशोधन मार्गदर्शकांबाबत.....</b></p> <p>एम.ए. शिक्षणशास्त्र शिक्षणक्रमाच्या प्रवेश पात्रतेत बी.एड विशेष शिक्षण आणि बी.पीएड धारक व्यक्तींनाही प्रवेशास पात्र करण्यात आलेले आहे. या दोन्ही अभ्यासक्रमांची रचनाही एन.सी.टी.ई च्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार करण्यात आलेली असते. त्यामुळे एम.ए. (शिक्षणशास्त्र) शिक्षणक्रमासाठी संमंत्रक, संशोधक मार्गदर्शक निकष पुढीलप्रमाणे असावेत असे वाटते. सदर विषय चर्चा व मान्यतेसाठी सादर.</p> <p><b>संमंत्रक आणि संशोधन मार्गदर्शक निकष</b></p> <p>I) शिक्षक प्रशिक्षण / विशेष शिक्षण / शारीरिक शिक्षण या क्षेत्रात M.Phil/Ph.D पदवी प्राप्त प्राध्यापक<br/> II) एम.फील / पीएचडी धारक नसल्यास कोणत्याही विद्यापीठातील शिक्षणशास्त्र विद्याशाखेतील पदव्युत्तर पदवीला शिकविण्याची मान्यता व किमान १० वर्षांचा अनुभव असणारे प्राध्यापक</p> <p><b>निर्णय :</b></p> <p>एम.ए. (शिक्षणशास्त्र) शिक्षणक्रमासाठी संमंत्रक आणि संशोधन मार्गदर्शकांच्या पुढील निकषांना मान्यता देण्यात आली व विद्वत परिषदेच्या मान्यतेसाठी त्या निकषांची शिफारस करण्यात आली.</p> <p><b>संमंत्रक पात्रता</b></p> <p>१) एम.फील. / पीएच.डी. पदवीधारक शिक्षक प्रशिक्षक<br/> २) एन.सी.टी.ई.च्या नियमानुसार तत्त्वज्ञान, मानसशास्त्र अशा अनिवार्य विषयांसाठी त्या विषयांतील एम.फील. / पीएच.डी. पदवीधर प्राध्यापक<br/> ३) संमंत्रक एम.फील. / पीएच.डी. नसल्यास कोणत्याही विद्यापीठातील शिक्षणशास्त्र विद्याशाखेतील तसेच तत्त्वज्ञान, मानसशास्त्र या विषयांची पदव्युत्तर पदवीला शिकविण्याची मान्यता आणि किमान १० वर्षांचा पदव्युत्तर पातळीला शिकविण्याचा अनुभव</p> <p><b>संशोधक मार्गदर्शक पात्रता</b></p> <p>१) शिक्षणशास्त्रातील एम.फील. / पीएच.डी. पदवीधारक शिक्षक प्रशिक्षक</p> |
| 56.5 | 5 | <p><b>विषय क्र. बी.-1 / एफ-175 / 2022/ 05</b></p> <p><b>बी.एड. शिक्षणक्रमातील 'EDU 403 अभ्यासक्रम आणि भाषा' या विषयाच्या पाठ्यक्रमाबाबत ...</b></p> <p>बी.एड. P-80 या शिक्षणक्रमाच्या पुनर्रचनेत 'EDU 403 अभ्यासक्रम आणि भाषा' या शिक्षणक्रमात केवळ तीन घटक समाविष्ट करण्यात आले आहेत, परंतु सदर शिक्षणक्रम हा 100 गुणांचा असल्याने या शिक्षणक्रमाच्या पाठ्यक्रमात दोन घटक नव्याने समाविष्ट करण्यात आले. तो बदल पुढील तक्त्यात मांडलेला आहे. चर्चा व मान्यतेस्तव सादर.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | जुना पाठ्यक्रम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | नवीन पाठ्यक्रम                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | घटक १ : शालेय विद्यार्थ्यांची भाषिक पार्श्वभूमी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | घटक १ : अभ्यासक्रम, विद्याशाखा व विषय : मुलभूत माहिती |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | घटक २ : वर्गातील भाषिक अभिव्यक्तीचे स्वरूप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | घटक २ : शालेय विषयानुसार विद्याशाखेचे स्वरूप व संरचना |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | घटक ३: माहितीचे अवांतर वाचन व लेखन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | घटक ३ : शालेय विद्यार्थ्यांची भाषिक पार्श्वभूमी       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | घटक ४ : वर्गातील भाषिक अभिव्यक्तीचे स्वरूप            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | घटक ५: माहितीचे अवांतर वाचन व लेखन                    |
| <b>निर्णय :</b><br>बी.एड. शिक्षणक्रमातील 'EDU 403 अभ्यासक्रम आणि भाषा' या अभ्यासक्रमात घटक १ 'अभ्यासक्रम, विद्याशाखा व विषय : मुलभूत माहिती' आणि घटक २ 'शालेय विषयानुसार विद्याशाखेचे स्वरूप व संरचना' यांचा समावेश करण्यास मान्यता देण्यात आली. यावर्षाच्या अंतिम परीक्षेपासून पाठ्यक्रमात घटकांवर आधारित अंतिम परीक्षेची प्रश्नपत्रिका काढण्याचे सूचित करण्यात आले. व सदर विषयाचे विद्वत परिषदेकडे मान्यतेसाठी शिफारस करण्यात आली. |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |
| 56.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6   | <b>विषय क्र. बी.-1 / एफ-175 / 2022/ 06</b><br><b>बी.एड. विशेष शिक्षणाबाबत.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.1 | <b>बी.एड.विशेष शिक्षण शिक्षणक्रम सन २०२२-२३ अभ्यासकेंद्र शुल्क आर्थिक खर्च विभाजनाबाबत...</b><br>बी.एड. विशेष शिक्षणक्रम सन २०१५ पासून कार्यान्वित केला जातो. ह्या शिक्षणक्रमासाठी आकारलेल्या एकूण शुल्कातून ४०% शुल्क अभ्यासकेंद्रला वर्गीकृत केले जाते. ते शुल्क अभ्यासकेंद्र खर्चासाठी कसे वापरावे? यासंदर्भात अभ्यासकेंद्र शुल्क आर्थिक विभाजन तक्ता तयार करण्यात आला आहे. सदर तक्ता सहपत्र - ५ मध्ये जोडण्यात आला आहे. सदर विषय चर्चा व मान्यतेसाठी सादर.<br><b>(सहपत्र - 5)</b><br><b>निर्णय :</b><br>सादिलवार खर्चात महाविद्यालया बाहेर लावावयाचा अभ्यासकेंद्रांचा बोर्ड तयार करण्यास येणारा खर्च उद्घाटन समारोप, तज्ञ व्याख्यात्यांचे आदरातिथ्य, स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलिफोन, झेरॉक्स, सणसमारंभ आदरातिथ्य इ. कारणांसाठी येणारा खर्च, ऑनलाइन कार्य करण्यासाठी तत्पर सुविधा उदा. ZOOM नेट पॅक खर्च, अभ्यासकेंद्राच्या आर्थिक लेखापरीक्षण करण्यासाठी लागणारा खर्च इ. हा यातून करण्यात यावा. तसेच अभ्यासकेंद्राकडून विद्यापीठाच्या कामासाठी येणाऱ्या व्यक्तीचा प्रवास खर्चही यातून करण्यात यावा. अभ्यासकेंद्रावरील संमंत्रकांना शाळेशी संबंधित कृती निरीक्षण करण्यासाठी स्थानिक वाहन खर्चही यातून करण्यात यावा. इ. अतिरिक्त खर्चाचे मुद्दे विचारात घेणेबाबत सूचित करून बी.एड. विशेष शिक्षण शिक्षणक्रम सन २०२२-२०२३ अभ्यासकेंद्र शुल्क आर्थिक खर्च विभाजन तक्ता सहपत्र - ५ ला मान्यता देण्यात आली व सदर विषयाची वित्त समितीच्या मान्यतेसाठी शिफारस करण्यात आली. |                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.2 | <b>बी.एड.विशेष शिक्षण शिक्षणक्रम सन २०२२-२३ अभ्यासकेंद्र शुल्क आर्थिक खर्च विभाजन अंतर्गत संमंत्रकांना प्रति संमंत्रण रु.४००/- मानधन अदा करणेबाबत...</b><br>बी.एड. विशेष शिक्षणक्रम प्रत्येक विद्यार्थी एकूण २६ अभ्यासक्रमाचा अभ्यास करतो. त्यामधून ४ श्रेयांकाच्या अभ्यासक्रमासाठी ७ संमंत्रण तासिका तर २ श्रेयांकासाठी ४ संमंत्रण तासिका बी.एड. सेवांतर्गत प्रमाणेच आयोजित केल्या जातात. बी.एड. विशेष शिक्षणक्रमात अभ्यासकेंद्रावर होणाऱ्या प्रत्येक संमंत्रणासाठी वाढती महागाई व तज्ज्ञांची उपलब्धता लक्षात घेता बी. एड. विशेष सेवांतर्गत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>प्रमाणेच रु.४००/- प्रति संमंत्रण मानधन देणे आवश्यक वाटते त्यास मान्यता मिळावी. सदर विषय चर्चा व मान्यतेसाठी सादर.</p> <p><b>निर्णय :</b></p> <p>बी.एड.विशेष शिक्षण शिक्षणक्रम सन २०२२-२३ पासून तात्त्विक अभ्यासक्रमांच्या संमंत्रणासाठी संमंत्रकांना प्रति संमंत्रण रु.४००/- मानधन देण्यास मान्यता देण्यात आली व सदर विषयाची विद्वत परिषदेच्या मान्यतेसाठी शिफारस करण्यात आली.</p> |
| 6.3 | <p><b>बी.एड.विशेष शिक्षण शिक्षणक्रम शुल्कात सन २०२३-२४ पासून वाढ करणेबाबत.....</b></p> <p>बी.एड. विशेष शिक्षणक्रम सन २०१५ पासून कार्यान्वित केला जातो. ह्या शिक्षणक्रमात २०१५ पासून रु. ३५,०००/- असे एकूण शुल्क विद्यार्थ्यांकडून आकारले जात होते. कोविड परिस्थिती विचारत घेता त्यात पुन्हा वाढ करण्यात आलेली नाही. मा. माजी कुलगुरू ई.वायुनंदन यांनी सदर शिक्षणक्रमाद्वारे विशेष बालकांना अध्यापन करणारे शिक्षक प्रशिक्षक तयार केले जातात म्हणून सन २०१८ पासून या शिक्षणक्रमाचे एकूण शुल्क कमी म्हणजेच रु. ३५,०००/- ऐवजी रु.२८,०००/- केले होते. ह्या शिक्षणक्रमासाठी येणारा खर्च लक्षात घेता हा शिक्षणक्रम कार्यान्वित करण्यासाठी विद्यापीठास अनेकदा आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागते असे आढळते. ही बाब लक्षात घेऊन ह्या शिक्षणक्रमासाठी पूर्वी आकारले जाणारे शुल्क रु.३५०००/- सन २०२३-२४ च्या तुकडीपासून आकारल्यास विद्यापीठाच्या या शिक्षणक्रमासंदर्भातील आर्थिक अडचणी कमी होऊ शकतील. बी.एड. विशेष शिक्षणक्रमाच्या अडीच वर्षांच्या शुल्काचे वर्गीकरण सहपत्र - ६ मध्ये जोडण्यात आले आहे. सदर विषय चर्चा व मान्यतेसाठी सादर.</p> <p><b>(सहपत्र - 6)</b></p> <p><b>निर्णय :</b></p> <p>बी.एड.विशेष शिक्षण शिक्षणक्रम शुल्क सन २०२३-२४ पासून रु. ३५,०००/- करण्यास सहपत्र - ६ नुसार मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर दरवर्षी महाराष्ट्र शासनाच्या शुल्कवाढीसंदर्भातील आणि RCI मार्गदर्शक सूचनांनुसार शुल्क वाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली व सदर विषयाची वित्त समितीकडे मान्यतेसाठी शिफारस करण्यात आली.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6.4 | <p><b>बी.एड. विशेष शिक्षणक्रमासंदर्भात तयार केलेल्या अभ्याससाहित्याचे आशय संपादन करण्याबाबत.....</b></p> <p>बी.एड. विशेष शिक्षणक्रम सन २०१५ पासून तीन प्रवर्गासाठी HI , VI आणि ID/MR साठी कार्यान्वित केला जातो. ह्या शिक्षणक्रमासाठी एकूण ४८ अभ्यासक्रम आहेत. विद्यार्थ्यांना त्यातील २६ अभ्यासक्रमाचा अभ्यास करावा लागतो. सदर विभागातर्फे या सर्व विषयांसाठी महाराष्ट्रातील तज्ज्ञांच्या मदतीने स्वयं अध्ययन साहित्य विकसित करण्यात आले आहे. आपल्या विद्यापीठात ह्या शिक्षणक्रमासाठी तीन प्रवर्गासाठी तीनच संयोजक आहेत. त्यामुळे त्या साहित्याचे संपादन कार्य पूर्णतः करण्यात आलेले नाही. ह्या शिक्षणक्रमासाठी तयार करण्यात आलेल्या सर्व अभ्यासक्रमाचे आशय संपादन करावे असे वाटते. त्यासाठी बहिस्थ तज्ज्ञांच्या अनुभवाचा वापर केला तर आपली पुस्तके चांगली आणि दोषरहित होऊ शकतील. अशा काही तज्ज्ञांची नावे सहपत्र - ७ मध्ये सोबत जोडण्यात आली आहेत. सदर विषय चर्चा व मान्यतेसाठी सादर.</p> <p><b>(सहपत्र - 7)</b></p> <p><b>निर्णय :</b></p> <p>बी.एड. विशेषचे अध्ययन साहित्य संपादनासाठी देताना संपादकांची शैक्षणिक पात्रता आणि अनुभव क्षेत्राचा विचार करावा असे सूचित करून बी.एड. विशेष शिक्षणक्रमासंदर्भातील सहपत्र - ७ मधील आशय संपादक यादीस मान्यता देण्यात आली व सदर विषयाची विद्वत परिषदेकडे मान्यतेसाठी शिफारस करण्यात आली.</p>                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.5 | <p><b>बी.एड.विशेष शिक्षणक्रमाच्या तात्त्विक आणि अंतर्गत मूल्यमापन Pattern बाबत...</b></p> <p>बी.एड.विशेष शिक्षणक्रम आपल्या विद्यापीठात सन २०१५ पासून तीन प्रवर्गासाठी (HI, V आणि ID/MR) साठी कार्यान्वित केला जातो. ह्या शिक्षणक्रमात तात्त्विक अभ्यासक्रमासाठी ८० गुण (UA) आणि २० गुण (CA) अंतर्गत प्रात्यक्षिक कार्यासाठी विभागले आहेत. मूल्यमापन संरचना लक्षात घेतली असता असे दिसून येते आहे की, विद्यार्थ्यांनी फक्त UA चे गुण प्राप्त केले असता ते उत्तीर्ण होतो. म्हणजेच विद्यार्थ्यांनी कोणतेही प्रात्यक्षिक कार्य जमा केले नाही तरी UA ला किमान गुण जर त्याने प्राप्त केले तर तो विद्यार्थी उत्तीर्ण होतो. ह्या कारणाने विद्यार्थी प्रात्यक्षिक कार्याचा गाभिये विचार करत नसल्याचे दिसून येते. म्हणूनच UA + CA दोन्हीचे मूल्यमापन मिळून किमान गुण प्राप्त करूनच तो विद्यार्थी उत्तीर्ण होणे आवश्यक वाटते. तसा बदल या शिक्षणक्रमाच्या मूल्यमापन पॅटर्नमध्ये करण्याचा विचार आहे. सर्व अभ्यासक्रमाचे गुणांचे विभागणी सहपत्र - ८ मध्ये सोबत जोडण्यात आले आहे. सदर विषय चर्चा व मान्यतेसाठी सादर.</p> <p style="text-align: right;">(सहपत्र - 8)</p> <p><b>निर्णय :</b></p> <p>बी.एड.विशेष शिक्षणक्रमात प्रत्येक विषयाच्या उत्तीर्णतेसाठी विद्यार्थ्याने अंतर्गत कार्यात २० पैकी किमान ८ गुण आणि बहिःस्थ परीक्षेत ८० पैकी किमान ३२ गुण दोन्ही मिळून ४० गुण मिळविल्यासच तो विद्यार्थी त्या अभ्यासक्रमात उत्तीर्ण म्हणून घोषित करण्यात येईल. त्यानुसार मूल्यमापन पॅटर्नमध्ये बदल करण्यात यावा या सूचनेसह सहपत्र - ८ मधील प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली व सदर विषयाची विद्वत् परिषदेकडे मान्यतेसाठी शिफारस करण्यात आली.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6.6 | <p><b>बी.एड.विशेष शिक्षणक्रमाच्या संपर्कसत्रात ७५% उपस्थिती अनिवार्य करून, अनुपस्थित विद्यार्थ्यांना अनुपस्थिती शुल्क आकारणे बाबत.....</b></p> <p>बी.एड.विशेष शिक्षणक्रम सन २०१५ पासून आपल्या विद्यापीठात तीन प्रवर्गासाठी (HI, V आणि ID/MR) साठी कार्यान्वित केला जातो. हा शिक्षणक्रम व्यावसायिक असल्याने विद्यार्थ्यांनी संपर्क सत्र प्रत्यक्षात अभ्यासकेंद्रावर येऊन पूर्ण करणे अत्यंत गरजेचे असते. RCI च्या नियमाप्रमाणे ८०% त UGC २०२० च्या ODL norms नुसार विद्यार्थ्यांची ७५% उपस्थिती अनिवार्य आहे. मात्र अभ्यासकेंद्राशी चर्चा केली असता विद्यार्थी संपर्कसत्रात मोठ्या प्रमाणात अनुपस्थित आढळतात. प्रत्येक संपर्क सत्रात किमान ७५% उपस्थिती अनिवार्य करावी असे वाटते. संपर्कसत्रांना अनुपस्थित राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रति दिन रु. ५००/- याप्रमाणे शुल्क आकारून अनुपस्थित सत्राचे काम संबंधित केंद्रावर पूर्ण करणे बंधनकारक करावे. तसेच सर्व सत्र पूर्ण करणाऱ्याच विद्यार्थ्यांना अंतिम परीक्षेला बसण्यास परवानगी द्यावी असे वाटते. सदर विषय चर्चा व मान्यतेसाठी सादर.</p> <p><b>निर्णय :</b></p> <p>एम.के.सी.एल. च्या मदतीने जे विद्यार्थी किमान ७५% संपर्कसत्रांना उपस्थित असतील त्यांनाच अंतिम परीक्षेचा अर्ज भरता येईल अशी योजना करण्यात यावी अशी सूचना परीक्षा विभागाला करावी असे सूचित करून बी.एड.विशेष शिक्षणक्रमाच्या संपर्कसत्रात ७५% उपस्थिती अनिवार्य करून, अनुपस्थित विद्यार्थ्यांना अनुपस्थिती शुल्क प्रतिदिन रु. ५००/- आकारण्यास मान्यता देण्यात आली. अनुपस्थित विद्यार्थ्याने अभ्यासकेंद्रामार्फत सेंटर फॉर डिसॅबिलिटी स्टडीज (CDS) सोबत पत्रव्यवहार करावा. अनुपस्थिती शुल्कातील ६०% रक्कम विद्यापीठाकडे आणि ४०% रक्कम केंद्राकडे सदा विद्यार्थ्याने जमा करावी. केंद्राला पुढील तुकडीसोबत किंवा त्यांच्या सोयीनुसार अंतर्गत कार्य पूर्ण करून घेणेबाबत CDS मार्फत कळवावे या सूचनेसह सदर विषयास मान्यता देण्यात आली व सदर विषयाची विद्वत् परिषदेच्या मान्यतेसाठी शिफारस करण्यात आली.</p> |
| 6.7 | <p><b>बी.एड. विशेष शिक्षणक्रमाचे स्वयं अध्ययन साहित्य छापील स्वरूपात आणणेबाबत.....</b></p> <p>बी.एड.विशेष शिक्षणक्रम सन २०१५ पासून आपल्या विद्यापीठात तीन प्रवर्गासाठी (HI, V आणि ID/MR) साठी कार्यान्वित केला जातो. तेव्हापासून या शिक्षणक्रमाचे स्वयंअध्ययन साहित्य छापिलेले स्वरूपात आहे. मात्र विद्यार्थी आणि अभ्यासकेंद्राच्या मागणीनुसार छापील पुस्तक दिल्यास विद्यार्थ्यांना सोयीचे होईल असे समजते. त्यामुळे २०२३ तुकडी पासून सदर साहित्याची छपाई करावी असे वाटते.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

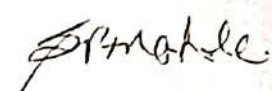
|      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |   | <p>सदर विषय चर्चा व मान्यतेसाठी सादर.</p> <p><b>निर्णय :</b></p> <p>बी.एड. विशेष शिक्षणक्रमाचे स्वयं अध्ययन साहित्याचे आशय आणि भाषा संपादन करावे असे सूचित करून ते साहित्य सन २०२३ च्या तुकडीपासून छापील स्वरूपात देण्यास मान्यता देण्यात आली व सदर विषयाची विद्वत परिषदेच्या मान्यतेसाठी शिफारस करण्यात आली.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6.8  |   | <p><b>बी.एड. विशेष शिक्षणक्रम (P21) स्पॉट प्रवेश फेरी बाबत.....</b></p> <p>बी.एड.विशेष शिक्षणक्रम सन २०१५ पासून आपल्या विद्यापीठात तीन प्रवर्गासाठी (HI, VI आणि ID/MR) साठी कार्यान्वित केला जातो. ह्या शिक्षणक्रमाचे सर्व अंमलबजावणी नियम आणि प्रवेश प्रक्रिया विद्वत परिषद ५२.४.१. ठरावानुसार मान्य करण्यात येते. त्यात कोणताही बदल नाही. परंतु बी.एड. विशेष शिक्षणक्रमासाठी RCI ने मंजूर केलेल्या जागांपेक्षा कमी अर्ज येत असल्याने विद्यापीठाला सर्व अभ्यासकेंद्रावर स्पॉट प्रवेश प्रक्रिया राबवावी लागते. सन २०२२-२३ तुकडीसाठी देखील मा.कुलसचिव यांच्या मान्यतेनुसार ही प्रवेश फेरी राबविण्यात आली. ह्या प्रवेशफेरी चे नियम आणि मान्यता सहपत्र - ९ जोडण्यात आले आहे. शिक्षणशास्त्र विद्याशाखा परिषदेपुढे सदर विषय कार्यान्वित मान्यतेसाठी सादर.</p> <p style="text-align: right;">(सहपत्र - 9)</p> <p><b>निर्णय :</b></p> <p>सन २०२२-२०२३ या तुकडीसाठी केलेल्या बी.एड. विशेष शिक्षणक्रम (P21) स्पॉट प्रवेश फेरीबाबत सहपत्र - ९ ला नोंदणी प्रमुख, संचालक विद्यार्थी सेवा विभाग आणि कुलसचिव किंवा प्रवेश समिती ह्यांची मान्यता घेण्यात यावी असे सूचित करून सन २०२३ पासून अभ्यासकेंद्रावर निर्धारित केलेल्या संख्येपेक्षा कमी प्रवेश झाल्यास स्पॉट प्रवेश प्रक्रियेसाठी पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यास मान्यता देण्यात आली व सदर विषयाची विद्वत परिषदेच्या मान्यतेसाठी शिफारस करण्यात आली.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>१) स्पॉट प्रवेशाचे नियम करावेत. प्रवेश समिती आणि तक्रार निवारण समिती गठीत करण्यात यावी.</li> <li>२) स्पॉट प्रवेशाबाबत प्रसिद्धी देण्यात यावी.</li> <li>३) ज्या विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन अर्ज भरलेले नसतील त्यांना विशिष्ट दिवशी ऑनलाईन प्रवेश लिंक अर्ज भरण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात यावी.</li> <li>४) प्रवेश पात्र विद्यार्थ्यांना विद्यापीठाचे शुल्क ऑनलाईन पद्धतीने भरण्यास मान्यता द्यावी.</li> <li>५) सदर प्रवेश पात्र विद्यार्थ्यांची नावे अभ्यासकेंद्रांना कळविण्यात यावीत.</li> <li>६) बी.एड. विशेष शिक्षणक्रमाच्या नियमित प्रवेश प्रक्रियेप्रमाणेच स्पॉट प्रवेश प्रक्रियाही कार्यान्वित करावी.</li> </ol> |
| 6.9  |   | <p><b>बी.एड.विशेष शिक्षणक्रमा online संमंत्रण करणेबाबत...</b></p> <p>बी.एड.विशेष शिक्षणक्रम सन २०१५ पासून आपल्या विद्यापीठात तीन प्रवर्गासाठी (HI, VI आणि ID/MR) साठी कार्यान्वित केला जातो. UGC २०२० च्या ODL norms नुसार विद्यार्थ्यांना तात्विक अभ्यासक्रमाचे संमंत्रण हे ४०% online घेता येते. ह्या पार्श्वभूमीवर बी.एड. विशेष शिक्षणक्रमाच्या अध्ययनार्थ्यांचा विचार करता ८०% विद्यार्थी नोकरीत असल्याने त्यांना प्रत्यक्षात अभ्यासकेंद्रावर उपस्थित राहण्यात अडचणी येतात. त्यामुळे त्यांचे तात्विक अभ्यासक्रमाचे संमंत्रण ४०% Online घेण्यास मान्यता द्यावी. त्यामुळे संपर्कसत्राचे दिवस कमी होतील. सदर विषय चर्चा व मान्यतेसाठी सादर.</p> <p><b>निर्णय :</b></p> <p>UGC च्या Norms नुसार बी.एड.विशेष शिक्षणक्रमातील सैद्धांतिक विषयांचे ४०% संमंत्रण ऑनलाईन पद्धतीने करण्यास मान्यता देण्यात आली व सदर विषयाची विद्वत परिषदेच्या मान्यतेसाठी शिफारस करण्यात आली.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 56.7 | 7 | <p><b>विषय क्र. बी.-1 / एफ-175 / 2022/ 07</b></p> <p><b>शालेय व्यवस्थापन पदविका शिक्षणक्रम अभ्यासकेंद्र मानधन तक्त्यास मान्यता मिळणे बाबत...</b></p> <p>शिक्षणशास्त्र विद्याशाखा परिषद बैठक क्र. ५५ मध्ये शालेय व्यवस्थापन पदविका</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |     | <p>शिक्षणक्रमाचे शुल्क वाढविण्यास मान्यता देण्यात आली. वाढविण्यात आलेल्या शुल्कानुसार विद्यार्थी शुल्क व अभ्यासकेंद्र शुल्क प्रत्येकी रु. २७२५/- इतके करण्यात आले आहे. वाढलेल्या अभ्यासकेंद्र शुल्काचे वितरण योग्य होण्यासाठी शालेय व्यवस्थापन पदविका शिक्षणक्रमाचा मानधन तक्ता रु.२७२५/- प्रमाणे नव्याने विकसित करण्यात आला आहे. सदरील मानधन तक्ता चर्चा व मान्यतेसाठी सादर.</p> <p>(सहपत्र - 10)</p> <p><b>निर्णय :</b></p> <p>शालेय व्यवस्थापन पदविका शिक्षणक्रमाचे प्रतिविद्यार्थी रु. २७५०/- या अभ्यासकेंद्र शुल्काचे वितरण कसे करावे यासंदर्भात तयार केलेल्या सहपत्र - १० तक्त्यास मान्यता देण्यात आली व सदर विषयाचे वित्त समितीकडे मान्यतेसाठी शिफारस करण्यात आली.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 56.8 | 8   | <p>विषय क्र. बी.-1 / एफ-175 / 2022/ 08</p> <p>C-105 - 'स्वयं साहाय्यता समूह प्रमाणपत्र शिक्षणक्रम : मूलभूत' अभ्यासकेंद्र मानधन कार्यवाही मान्यतेबाबत.....</p> <p>शिक्षणशास्त्र विद्याशाखेतर्फे पुनर्रचित C-105 - 'स्वयं साहाय्यता समूह प्रमाणपत्र शिक्षणक्रम : मूलभूत' सन २०२२ पासून कार्यान्वित करण्यात आला आहे. या शिक्षणक्रमात चार अभ्यासक्रम असून त्या प्रत्येकात अंतर्गत कार्य, स्वाध्याय व प्रात्यक्षिके आहेत. (अभ्यासकेंद्रावरील प्रात्यक्षिके ५, गृह प्रात्यक्षिके ४ आणि क्षेत्रीय प्रात्यक्षिके ४ यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे.) त्यासाठी नव दिवसांचे संपर्क सत्र घेतले जाणार आहे. त्यासंदर्भात तयार करण्यात आलेला अभ्यासकेंद्र मानधन वितरण तक्ता सोबत सहपत्र - ११ मध्ये जोडला आहे. सदर विषय चर्चा व मान्यतेसाठी सादर.</p> <p>(सहपत्र - 11)</p> <p><b>निर्णय :</b></p> <p>'C-105 - 'स्वयं साहाय्यता समूह प्रमाणपत्र शिक्षणक्रम : मूलभूत' अभ्यासकेंद्र मानधन वितरण सहपत्र - ११ ला मान्यता देण्यात आली व सदर विषयाची वित्त समितीकडे मान्यतेसाठी शिफारस करण्यात आली.</p> |
| 56.9 | 9   | <p>विषय क्र. बी.-1 / एफ-175 / 2022/ 09</p> <p>सिलेज विकसन प्रमाणपत्र शिक्षणक्रम पाठ्यक्रम विकसन समितीबाबत.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | 9.1 | <p>सिलेज विकसन प्रमाणपत्र शिक्षणक्रम पाठ्यक्रम विकसन समितीबाबत.....</p> <p>सिलेज विकसन प्रमाणपत्र शिक्षणक्रम पाठ्यक्रम विकसन समितीची बैठक दिनांक २३/०८/२०२२ रोजी घेण्यात आली. या बैठकीचे इतिवृत्त सोबत जोडलेले आहे. या बैठकीत अभ्यासक्रमनिहाय गटकार्य करून अभ्यासक्रमातील घटक व उपघटक निश्चित करण्यात आले. सहपत्र - १२ मध्ये देण्यात आलेले आहे. पाठ्यक्रम विकसन बैठक इतिवृत्त आणि अभ्यासक्रमनिहाय घटक व उपघटक चर्चा व मान्यतेसाठी सादर.</p> <p>(सहपत्र - 12)</p> <p><b>निर्णय :</b></p> <p>सिलेज विकसन प्रमाणपत्र शिक्षणक्रम पाठ्यक्रम विकसन समितीच्या सहपत्र - १२ मधील बैठक वृत्तांताला व पाठ्यक्रमांना मान्यता देण्यात आली.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | 9.2 | <p>सिलेज विकसन प्रमाणपत्र शिक्षणक्रम अभ्यासक्रम निहाय लेखक संपादक मान्यतेबाबत.....</p> <p>सिलेज विकसन प्रमाणपत्र शिक्षणक्रम विकसनासाठी अभ्यासक्रमनिहाय लेखक संपादक यादी तयार करण्यात आलेली आहे. अभ्यासक्रमनिहाय लेखक संपादक यादी सहपत्र - १३ मध्ये देण्यात आलेली आहे. सदर यादीस मान्यता द्यावी.</p> <p>या यादीत आणखी काही लेखक / संपादक घेण्याची गरज भासल्यास शिक्षणशास्त्र विद्याशाख परिषदेचे अध्यक्ष या नात्याने संचालक शिक्षणशास्त्र विद्याशाखा यांच्या मान्यतेने ते घेण्यास मान्यता असावी. सदर विषय चर्चा व मान्यतेसाठी सादर.</p> <p>(सहपत्र - 13)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |      | <p><b>निर्णय :</b><br/>सिलेज विकसन प्रमाणपत्र शिक्षणक्रमातील उद्योग विकास या अभ्यासक्रमासाठी श्री सचिन पुणेकर आणि श्री रणजित शानबाग ह्यांची नावे लेखक यादीत समाविष्ट करावी असे सूचित करण्यात आले. गरज भासल्यास नवीन लेखक / संपादक नियुक्ती करण्याचे अधिकार संचालक, शिक्षणशास्त्र विद्याशाखा यांना देऊन सिलेज विकसन प्रमाणपत्र शिक्षणक्रम अभ्यासक्रमनिहाय लेखक संपादक सहपत्र - १३ तील यादीस मान्यता देण्यात आली.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 56.10 | 10   | <p><b>विषय क्र. बी.-1 / एफ-175 / 2022/ 10</b><br/><b>विविध शिक्षणक्रम पुनर्रचनेत लेखक संपादक नियुक्ती अधिकार संचालक, शिक्षणशास्त्र विद्याशाखा यांना देणेबाबत.....</b><br/>शिक्षणशास्त्र विद्याशाखेत एम.ए. (शिक्षणशास्त्र), बालसंगोपन प्रमाणपत्र शिक्षणक्रम, शालेय व्यवस्थापन पदविका आणि स्वयं साहाय्यता समूह प्रमाणपत्र शिक्षणक्रम : प्रगत या शिक्षणक्रमांच्या पुनर्रचनेचे कार्य सुरु आहे. या शिक्षणक्रमाच्या अध्ययन साहित्य लेखन व संपादनात महाराष्ट्रातील विविध तज्ज्ञांचा सहभाग घेतला जातो. परंतु काहीवेळा सातत्याने फोलोअप करूनही लेखक / संपादक पुस्तक लेखन / संपादन निर्धारित वेळेत करण्यास असमर्थता दर्शवतात. अशा परिस्थितीत लेखक / संपादक बदलावे लागतात. तशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास उपरोक्त शिक्षणक्रमाच्या पुनर्रचनेत नवीन लेखक / संपादक नियुक्तीचा अधिकार शिक्षणशास्त्र विद्याशाखा परिषदेचे अध्यक्ष या नात्याने संचालक, शिक्षणशास्त्र विद्याशाखा यांना देण्यात यावे. सदर विषय चर्चा व मान्यतेसाठी सादर<br/><b>निर्णय :</b><br/>विविध शिक्षणक्रम पुनर्रचनेत आवश्यकतेनुसार लेखक / संपादक नियुक्ती अधिकार संचालक, शिक्षणशास्त्र विद्याशाखा यांना देण्यास मान्यता देण्यात आली.</p> |
| 56.11 | 11   | <p><b>विषय क्र. बी.-1 / एफ-175 / 2022/ 11</b><br/><b>शिक्षणशास्त्र विद्याशाखेतील विविध शिक्षणक्रमांच्या मूल्यमापक याद्यांना मान्यता देणेबाबत.....</b><br/>शिक्षणशास्त्र विद्याशाखेतील एम.ए. (शिक्षणशास्त्र), बी.एड., बी.एड. (विशेष शिक्षण), शालेय व्यवस्थापन पदविका, बालसंगोपन प्रमाणपत्र शिक्षणक्रम आणि स्वयं साहाय्यता समूह प्रमाणपत्र शिक्षणक्रम : मूलभूत अंतिम परीक्षा उत्तरपत्रिका तपासणीसाठी मूल्यमापक म्हणून कार्य करण्यासाठी शिक्षणक्रम निहाय याद्या सोबत जोडलेल्या आहे. सदर विषय चर्चा व मान्यतेसाठी सादर.<br/>(सहपत्र - 14)<br/><b>निर्णय :</b><br/>मूल्यमापक हा शब्द वापरण्याऐवजी विषय तज्ज्ञ असे संबोधावे असे सूचित करून शिक्षणशास्त्र विद्याशाखेच्या सहपत्र - १४ मधील विविध शिक्षणक्रमांच्या मूल्यमापक याद्यांना मान्यता देण्यात आली व सदर विषयाची BOE सभेच्या मान्यतेसाठी शिफारस करण्यात आली.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 56.12 | 12   | <p><b>विषय क्र. बी.-1 / एफ-175 / 2022/ 12</b><br/><b>अध्यक्षांच्या परवानगीने ऐनवेळीचे विषयाबाबत.....</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | 12.1 | <p><b>‘स्वयं साहाय्यता समूह प्रमाणपत्र शिक्षणक्रम : मूलभूत’ अभ्यासकेंद्र मान्यता निकषांबाबत.....</b><br/>शिक्षणशास्त्र विद्याशाखेतर्फे, ‘स्वयं साहाय्यता समूह प्रमाणपत्र शिक्षणक्रम : मूलभूत’ या शिक्षणक्रमाची पुनर्रचना करण्यात आलेली आहे. सदर शिक्षणक्रमाची पथदर्शी तुकडी माविम नागपूर आणि इतर पुणे, तलासरी व औरंगाबाद अशा चार अभ्यासकेंद्रांवर २०२२-२३ ची तुकडी म्हणून कार्यान्वित करण्यात आलेली आहे. पथदर्शी अभ्यासानंतर पुढीलवर्षी या शिक्षणक्रमासाठी प्रवेश नसलेली पूर्वीची अभ्यासकेंद्रे बंद करून संपूर्ण महाराष्ट्रात नव्याने अभ्यासकेंद्रे निवड करण्यात येणार आहे. केंद्र निवड करताना विचारत घ्यावयाचे निकष चर्चा व मान्यतेसाठी सादर.<br/><b>‘स्वयं साहाय्यता समूह प्रमाणपत्र शिक्षणक्रम : मूलभूत’ अभ्यासकेंद्र मान्यता निकष</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>अभ्यासकेंद्र मागणी करणारी संस्था : स्वयं साहाय्यता समूहाशी संबंधित कार्य करणारी शैक्षणिक संशोधन / शासकीय / निमशासकीय / अशासकीय / स्वयंसेवी (NGO) संस्था किंवा स्वयं साहाय्यता समूहाचे फेडरेशन असावे.</li> <li>सदर संस्थेत पदवीधारक किंवा दहावी / बारावी पास आणि स्वयं साहाय्यता समूहाशी संबंधित कार्य करण्याचा किमान ५ वर्षांचा अनुभव असणारे चार संमंत्रक असावे.</li> <li>अभ्यासकेंद्र म्हणून मागणी करणाऱ्या संस्थेत ५० विद्यार्थ्यांसाठीची वर्गखोली व बैठक व्यवस्था स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, स्त्री व पुरुषांसाठी स्वतंत्र प्रसाधन गृहे इ. भौतिक सुविधा दुरध्वनी, इंटरनेट, संगणक, प्रिंटर व झेरॉक्सची सुविधा असणे आवश्यक आहे.</li> </ul> <p><b>निर्णय :</b><br/> 'स्वयं साहाय्यता समूह प्रमाणपत्र शिक्षणक्रम : मूलभूत' अभ्यासकेंद्र मान्यता निकषांत नोंदणीकृत संस्था अशी नोंद करण्यात यावी असे सूचित करून अभ्यासकेंद्र देण्याच्या निकषांना मान्यता देण्यात आले. पूर्वीच्या ज्या अभ्यासकेंद्रावर सलग तीन वर्षे प्रवेश झालेले नाही अशी केंद्रे बंद करण्यास मान्यता देण्यात आली व सदर विषयाची विद्वत परिषदेकडे मान्यतेसाठी शिफारस करण्यात आली.</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

  
 प्रा. कविता साळुंके  
 अध्यक्ष व प्र.संचालक, शिक्षणशास्त्र विद्याशाखा

  
 प्रा.संजीवनी महाले  
 सचिव, शिक्षणशास्त्र विद्याशाखा परिषद

मा. कुलगुरु ह्यांचे मान्यतेसाठी सविनय सादर.....

प्रत  
 शिक्षणशास्त्र विद्याशाखा परिषद सर्व सन्माननीय सदस्य